

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक: स्था0 02/02-06/2014/.....24..... /पटना, दिनांक.....18.09.14

प्रेषक,

पंकज कुमार,
सचिव,
योजना एवं विकास विभाग।

सेवा में,

वरीय अनुसंधान पदाधिकारी (आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी),

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी,

पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर(भभुआ), नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगुसराय, खगड़िया, भागलपुर, बाँका, पूर्णियाँ, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, प० चम्पारण (बेतिया), पूर्वी० चम्पारण (मोतिहारी), सारण, सिवान एवं गोपालगंज।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में आयोजना भिन्न/आयोजना बजट से मुख्यालय एवं इसके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना/गैर स्थापना व्यय से वहन हेतु स्वीकृतिदेश संख्या-1267, दिनांक 01.09.2014 के आलोक में राशि भुगतान के लिए आवंटन के संबंध में । कुल अतिरिक्त आवंटित राशि रु 37,00,000/- (सैतीस लाख) रुपये मात्र।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-687 दिनांक 24.07.2014 के माध्यम से सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए बिहार विनियोग विधेयक, 2014 पर महामहिम राज्यपाल ने दिनांक-23.07.2014 को स्वीकृति प्रदान की है। तत्पश्चात विधि विभाग ने बिहार विनियोग अधिनियम 2014 को अधिसूचना संख्या-एल० जी०-1-09/2014: लेज 82 एवं 83 दिनांक-24.07.2014 द्वारा अधिसूचित किया है।

2. कंडिका-1 के आलोक में वित्त विभाग ने 31 मार्च 2015 तक के अवधि के लिए बजट में प्रावधानित राशि को नियमानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान की है।

3. कंडिका-02 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2014-15 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है ।

4. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष-205-राज्य सांख्यिकी एजेंसी, उप शीर्ष-0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना शीर्ष के अंतर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-P/3454022050101 है।

5. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 एवं 2 से 33 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः वरीय अनुसंधान पदाधिकारी (आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना एवं सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे ।

6. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र पर निहित राशि की निकासी

की जा रही है । साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं।


7. प्रत्येक परिस्थिति में मद्दवार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय । इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।


8. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।



9. आवंटित राशि को नियमानुसार व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998, पत्रांक-253 दिनांक 11.03.2014 एवं पत्रांक-687 दिनांक 24.07.2014 में उल्लेखित निदेश के साथ-साथ, समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

10. स्वीकृत्यादेश संख्या-1267, दिनांक- 01.09.2014 के आलोक में बिहार समग्र सांख्यिकी विकास योजना के तहत बेल्ट्रॉन से प्राप्त कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की सेवा के विरुद्ध सृजित पदों के अवधि विस्तार के फलस्वरूप कार्यरत कर्मियों को इस आवंटन से नियमानुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 में पारिश्रमिक का भुगतान किया जायगा।

विश्वासभाजन


17.9.14




सचिव
योजना एवं विकास विभाग


आबंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 205-राज्य सांख्यिकी एजेंसी, उप शीर्ष-0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 का अतिरिक्त आबंटन विवरणी । मांग सं0-35 एवं विपत्र कोड P/3454022050101

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आबंटन दिया जा रहा है।	13-01 कार्यालय व्यय	13-02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	16-01 प्रपत्रों का मुद्रण	20-03 प्रशिक्षण व्यय	28-01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना	-	-	-	-	500000	500000
जिला सांख्यिकी कार्यालय		-	-	-	-		
2	पटना	-	-	-	-	100000	100000
3	नालंदा	-	-	-	-	100000	100000
4	भोजपुर	-	-	-	-	100000	100000
5	बक्सर	-	-	-	-	100000	100000
6	रोहतास	-	-	-	-	100000	100000
7	कैमूर (भभुआ)	-	-	-	-	100000	100000
8	नवादा	-	-	-	-	100000	100000
9	औरंगाबाद	-	-	-	-	100000	100000
10	जहानाबाद	-	-	-	-	100000	100000
11	मुंगेर	-	-	-	-	100000	100000
12	जमुई	-	-	-	-	100000	100000
13	लखीसराय	-	-	-	-	100000	100000
14	शेखपुरा	-	-	-	-	100000	100000
15	वेगुसराय	-	-	-	-	100000	100000
16	खगड़िया	-	-	-	-	100000	100000
17	भागलपुर	-	-	-	-	100000	100000
18	बांका	-	-	-	-	100000	100000
19	पूर्णियाँ	-	-	-	-	100000	100000
20	कटिहार	-	-	-	-	100000	100000
21	सहरसा	-	-	-	-	100000	100000
22	सुपौल	-	-	-	-	100000	100000
23	मधेपुरा	-	-	-	-	100000	100000
24	दरभंगा	-	-	-	-	100000	100000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
17.9.14

[Handwritten signature]

सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	13-01 कार्यालय व्यय	13-02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	16-01 प्रपत्रों का मुद्रण	20-03 प्रशिक्षण व्यय	28-01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8
25	मधुबनी	-	-	-	-	100000	100000
26	समस्तीपुर	-	-	-	-	100000	100000
27	मुजफ्फरपुर	-	-	-	-	100000	100000
28	सीतामढ़ी	-	-	-	-	100000	100000
29	प० चम्पारण (बेतिया)	-	-	-	-	100000	100000
30	पूर्वी० चम्पारण (मोतिहारी)	-	-	-	-	100000	100000
31	सारण	-	-	-	-	100000	100000
32	सिवान	-	-	-	-	100000	100000
33	गोपालगंज	-	-	-	-	100000	100000
	कुल योग:-	-	-	-	-	3700000	3700000

सैतीस लाख रुपये मात्र।

17.9.14

21

17/9/14

योजना एवं विकास विभाग